

4.12.24

पत्रावली पेश हुई

प्राथी वकील 24)

पत्रावली वाले मौका रिपोर्ट के अवलोकन

इसके बाद वकील 26-12-24 को पेश की

3

26.12.2024

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली

प्राथी वकील उपस्थित।

पत्रावली में प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन एवं अद्यतन में पाया गया कि प्राथिया ने अपने खातेदारी जोत से सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु चाहे गये कटाण मार्ग के संबंध में वर्तमान में सड़क मार्ग से लगती हुई भूमि कय कर लिये जाने से अब उनके सड़क मार्ग तक आवागमन हेतु नये रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं होने की दशा में विचाराधीन वाद में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। प्राप्त मौका रिपोर्ट के तथ्यों की प्राथी अधिवक्ता द्वारा ताईद किये जाने पर उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जाकर न्यायहित में प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं बाद अवलोकन के प्राथी द्वारा अपने आवेदन में चाही गई इस्तदुआ विज्ञो किये जाने से आवेदन इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

उपर्युक्त अधिवक्ता
सिखरी

